प्रेषक,

निदेशक,
पंचायती राज, उ0प्र0।

सेवा में,

समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

परिपत्र चतुर्थ

संख्या–4/786/2014–4/70/2014 लखनऊ : दिनांक 26 सितम्बर, 2014

विषय : ग्राम पंचायतों को पुनर्गठन/परिसीमन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–1992/33–3–2014–03रा0नि0आ0/14 दिनांक 16 अगस्त, 2014 एवं तत्क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या–4/491(2)/2014–4/70/2014 दिनांक 22 अगस्त, 2014 व पत्र दिनांक 23 सितम्बर, 2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश व पत्रों द्वारा आपसे ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन के संबंध में दिनांक 30 सितम्बर, 2014 तक समस्त कार्यवाही पूर्ण करते हुए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्रों/प्रस्तावों के निस्तारण के उपरान्त की गयी संस्तुति के अनुसार पंचायती राज निदेशालय को निर्धारित रूप पत्र 1, 2 व 3 पर अपेक्षित सूचनाएं भेजने के निर्देश दिये गये हैं।

आशा है कि आप द्वारा तदनुसार कार्यवाही की जा रही होगी। उक्त संदर्भ में समय–समय पर जनपदों द्वारा दूरभाष आदि पर कतिपय जिज्ञासाएं की जाती रही हैं एवम् उन्हें तदनुसार मार्ग दर्शन दिया जाता रहा है। दिनांक 08 सितम्बर, 2014 को राज्य मुख्यालय पर आयोजित समस्त उपनिदेशक(पं0) एवं जिला पचायत राज अधिकारियों की बैठक में संबंधित अधिकारियों द्वारा की गयी जिज्ञासाओं का भी तत्काल समाधान करते हुए यथावश्यक मार्ग दर्शन भी प्रदान कर दिया गया था।

पुनः यह स्पष्ट करना है कि :–

1. नई ग्राम पंचायतों के गठन/पुनर्गठन आदि पर शासनादेश में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित ग्रामवासी/ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव पर ही कार्यवाही की जाय।
2. किसी विषय पर निर्णय लेने से पूर्व ग्राम पंचायत अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी(पं0) से मौके पर जाकर स्थिति का अध्ययन करते हुए परीक्षण करा लिया जाय, एवं उनकी संस्तुति संबंधित पत्रावली में रखी जाय।
3. निर्णय के समय उक्त संस्तुतियों पर आवश्यक विचार कर लिया जाय।
4. यथाशक्य न्याय पंचायत के क्षेत्र में कोई परिवर्तन न किया जाय।
5. जनपद में न्याय पंचायतों की संख्या पूर्ववत रखी जाय।
6. किसी भी दशा में पूर्व से स्थापित किसी ग्राम पंचायत के राजस्व ग्रामों को पृथक–पृथक विकास खण्ड/तहसील में न रखा जाय।

अतः आपसे अनुरोध है कि समस्त कार्यवाही निर्धारित अवधि के अन्दर सम्पादित कराते हुए निदेशालय को जिलाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्धारित रूप पत्रों अधिसूचना जारी करने हेतु प्रस्ताव निदेशालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

26.9.14

(उदयवीर सिंह यादव)
निदेशक,
पंचायती राज उ0प्र0।

संख्या–4/786/2014–4/70/2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), उ0प्र0।

(उदयवीर सिंह यादव)
निदेशक,
पंचायती राज उ0प्र0।